POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितंबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 सितंबर, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

देश की आजादी की 71 वीं सालगिरह, लालकिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया संबोधन। आपने जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। इस बार उन्होंने देशवासियों को ऐसा दुर्लभ सपना दिखाया है कि हम 15 अगस्त, 2022 तक भारत को नई बुलन्दियों पर ले जाएंगे... एक नए भारत की ओर!

अक्सर जब चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा लाल किले से इसी तरह के सपने जनता के सामने परोसे जाते रहे हैं। मसलन, कभी गरीबी हटाने, बेरोजगारी दूर करने, भ्रष्टाचार खत्म करने, अच्छे दिन लाने जैसी कई घोषणाएं की जाती है। लेकिन बाद में ये सिर्फ एक जुमला और राजनैतिक जरूरत बन कर रह जाती है।

मेरा मानना कदापि यह नहीं है कि पिछले 70 सालों में हम विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़े हैं। कई क्षेत्रों में हमने नए आयाम स्थापित किए हैं । आत्मनिर्भरता में भी हम आगे बढ़े हैं और कई क्षेत्रों में बुलन्दियों को भी छुआ है। इसमें पिछली सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

लेकिन आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवाद, सामाजिक भेदभाव, जातिवाद जैसी कई बेहद गंभीर समस्याएं सामने खड़ी हैं। राजनीतिक दलों में भी कई मायनों में स्वच्छ छवि का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या मोदी जी के 2022 के नए भारत में इन सब पर विजय प्राप्त की जा सकेगी?

घर खरीदने वालों को धोखा दिया, तो होगी जेल

देश भर के लगभग सभी राज्यों में रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) एक अगस्त 2017 से प्रभावी हो गया है। इससे अपना घर खरीदने वालों को कई अधिकार मिल गए हैं। अब बिल्डर-विकासकर्ता (डेवलपर्स) घर खरीदने वाले उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी एवं मनमानी नहीं कर सकेंगे।

डेवलपर्स को ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट करते वक्त प्रोजेक्ट पूरा होने और मकान का कब्जा देने की तारीख बतानी होगी। एक्ट के मुताबिक, मकान का कब्जा देने में देरी होने पर डेवलपर्स को लगभग 11 फीसदी की दर से जमा राशि पर ब्याज देना होगा।

किसी तरह की शिकायत होने पर मकान खरीदने वाला रेरा की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में रेरा की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। ग्राहक की शिकायत पर रेग्यूलेटरी अथॉरिटी 60 दिन के भीतर अपना फैसला सुना देगी। कानून में घर खरीदने वालों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी करने पर 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी शामिल है।

इससे अब बिल्डर्स-विकासकर्ता द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्री-लॉन्चिंग के नाम पर बुकिंग नहीं हो सकेगी। वह बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट्स का विज्ञापन भी नहीं दे पाएंगे। इससे ऐसे डवलपर्स पर अंकुश लगेगा जो मार्केट से पैसा उगाही करने के लिए प्रोजेक्ट लाते हैं।

डीजल पर ज्यादा पैसे वसूलना भारी पड़ा

नागौर जिले की डीडवाना तहसील के गनवाड़ी निवासी आनंद सिंह राजपूत ने उपभोक्ता संरक्षण मंच, नागौर में तोषीणा के रामचंद्रिका पेट्रोल पंप के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। अपने वकील के जरिए दर्ज कराए गए परिवाद में उन्होंने बताया कि वह रामचंद्रिका पेट्रोल पंप पर एक दिसम्बर 2015 को डीजल भरवाने गया था। उनसे पंप संचालक द्वारा 19.76 लीटर डीजल की कुल कीमत पर पांच रुपए ज्यादा वसूल गए। उन्होंने पंप संचालक से इसकी शिकायत भी की लेकिन शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता संरक्षण मंच ने रामचंद्रिका पेट्रोल पंप संचालक को उपभोक्ता से 19.76 लीटर डीजल की वास्तविक कीमत से पांच रुपए अधिक वसूलने का दोषी माना। मंच ने पेट्रोल पंप संचालक को आदेश दिया है कि वह ज्यादा वसूले गए 5 रुपए उपभोक्ता आनंद सिंह राजपूत को वापस लौटाए। इसके साथ ही उन्हें हुई मानसिक परेशानी के एवज में क्षतिपूर्ति स्वरूप 15 हजार रुपए और परिवाद व्यय के 5 हजार रुपए भी अदा करे। मंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यदि पेट्रोल पंप संचालक समय पर आदेश की पालना नहीं करता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया जाएगा।

महिलाएं वित्तीय रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनें!

गरीब और कमजोर वर्ग की ग्रामीण महिलाएं वित्तीय रूप से साक्षर और समर्थ हों और आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम करने की आवश्यकता है।

यह विचार 'कट्स' द्वारा भारत सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के तहत चित्तौड़गढ़ में आयोजित परियोजना शुभारंभ बैठक में बेंगू विधायक सुरेश धाकड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।

विशिष्ठ अतिथि के रूप चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के सभापति सुशील शर्मा ने खेतीहर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर बल दिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नारायण सिंह चारण ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से बैंक लेन-देन की प्रक्रिया को समझ कर उसे उपयोग में लाना चाहिए।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के उप निदेशक संजय झाला ने कहा कि महिलाएं अपनी बचत का सही निवेश कर ज्यादा लाभान्वित हो सकती हैं। बैठक के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने 'कट्स' द्वारा हाल ही किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं सरकार द्वारा घोषित वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में नहीं जानती। उन्होंने कहा महिलाओं को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए।

'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने कार्यक्रम के तकनीकी सत्र को संचालित किया। कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों, विभागों, संस्थाओं एवं मीडिया प्रतिनिधियों सहित चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों की करीब 130 ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया।

गरीबों को मिलता रहेगा गेहूं व चावल

सरकार ने लोकसभा में कहा है कि अगले साल तक गरीबों को दो रुपए किलो गेहूं व तीन रुपए किलो चावल दिया जाता रहेगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो देश की 81 करोड़ जनता को दो रुपए प्रति

किलो गेहूं और तीन रुपए प्रति किलो चावल देता है।

उन्होंने कहा कि इस योजना को तीन साल हो गए हैं और हमने फैसला लिया है कि जून, 2018 तक इसी दाम पर खाद्यान्न देते रहेंगे। इस दिशा में केंद्र सरकार अपना काम कर रही है और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है कि कोई भूखा नहीं रहे।

याद आने लगे पंचायत भवन

चुनाव नजदीक आते ही सरकार को पंचायत समिति के भवनों के निर्माण की फिर से याद आने लगी है। गौरतलब है कि ढ़ाई साल पहले पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम शुरू हुआ था। मौजूदा सरकार ने नवम्बर, 2014 में 47 नई पंचायत समितियां बनाई थीं।

सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में नई पंचायत समितियों के भवन निर्माण की घोषणा भी की, लेकिन पिछले ढ़ाई साल से यह ठंडे बस्ते में बंद थीं। भवनों के लिए जमीन तक आवंटित नहीं हुई। अब सरकार की ओर से सभी भवनों का निर्माण अगले वर्ष 15 अगस्त से पहले पूरा करने के आदेश जारी किए गए हैं।

कम आय तो मिलेगा मुफ्त वकील

प्रदेश की अदालतों में पैरवी के लिए अब डेढ़ लाख तक की वार्षिक सालाना आय वालों को भी मुफ्त वकील मिल सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमों में संशोधन कर आय सीमा को बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब तक सवा लाख रुपए तक सालाना आय वालों को ही यह सुविधा थी। अब डेढ़ लाख रुपए तक की आय वालों को मुफ्त में वकील उपलब्ध कराया जाएगा।

आधार से बनेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण-पत्र के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना पंजीयन नहीं हो सकेगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक किसी भी पहचान पत्र के आधार पर प्रमाण-पत्र बनाए जाते रहे हैं लेकिन अब आधार से नंबर अंकित करने पर ही प्रमाण-पत्र प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

पड़े रहे मिट्टी के नमूने, बंट गए कार्ड

उचित उर्वरक का इस्तेमाल सुनिश्चित कर लागत घटाने के लिए शुरु की गई केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना को निचले स्तर पर सरकारी मशीनरी बट्टा लगा रही है।

केंद्र के थिंक टैंक नीति आयोग ने इस योजना का अध्ययन करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें खुलासा किया गया है कि कई जांच लैबोरेटरी में मिट्टी के नमूने ट्रकों के बाहर ही पड़े रह गए और अंदर बिना कोई जांच किए सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कर दिए गए।

इतना ही नहीं, कार्ड तैयार करने का काम बाहरी एजेंसियों को दे दिया गया जहां गैर-तकनीकी लोग मिट्टी की जांच कर कार्ड बना देते हैं। नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई है।

मनरेगा से जुड़ेगा स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान को गांवों में सफल बनाने के लिए अब इसमें मनरेगा योजना का सहयोग लिया जाएगा। इस अभियान के तहत गांवों में सफाई के लिए प्रति एक हजार की आबादी पर लगभग 14 श्रमिक उपलब्ध कराएं जाएंगे। जो साफ-सफाई का काम देखेंगे।

यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने देते हुए बताया कि इनके साथ कचरा परिवहन के लिए साइकिल रिक्शा दी जाएगी। रेगिस्तानी इलाकों में कचरा परिवहन के लिए ट्रैक्टर की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए मनरेगा के तहत गार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।

अब सास-बहू से होगी सीधी बात

राजस्थान के जिन जिलों में बच्चों की तादाद प्रति परिवार ज्यादा है, उनको बच्चे कम ही अच्छे की सीख देने के लिए अब चिकित्सा विभाग जल्द ही सीधे परिवार की महिलाओं

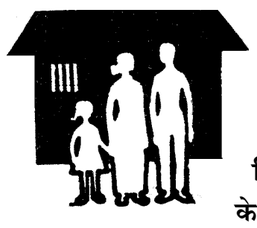

से बात करने जा रहा है। खासकर सास और बहूओं से।

इसके लिए 10 सितम्बर से ऐसे जिलों के 16250 गांवों में सास-बहू सम्मेलनों का आयोजन होगा। यह जानकारी चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव वीनू गुप्ता ने देते हुए बताया कि सम्मेलन में कम बच्चों के फायदे और परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने की सलाह दी जाएगी।

इन जिलों में सीमित परिवार को बढ़िया क्वालिटी के परिवार नियोजन के साधन जैसे गर्भनिरोधक छायागोली, अंतरा इंजेक्शन आदि सभी उपस्वास्थ्य केंद्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिला सहायता समूह होंगे सशक्त

प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह के संगठनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मकसद से उन्हें सहकारी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन को सहकारिता कानून के तहत महिला सहकारी समिति के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि समूहों को आर्थिक गतिविधियों में आगे बढ़ने में उनकी पूरी मदद करें।

जीरो बजट खेती का जमाना!

जीरो बजट खेती। यही नाम दिया है नागौर में कुचामन सिटी क्षेत्र के त्रिसिंगिया गांव के किसान गोपाल कुमावत ने अपने नवाचार को। जीरो बजट यानी लागत शून्य और मुनाफा पूरा।

कानून की पढ़ाई के बाद वकालत छोड़ उन्होंने खेती को अपनाया है। उन्होंने अपने फार्म पर आधी भूमि पर इस नवाचार का बीजारोपण 6 साल पहले नींबू के 125 पौधे रोपकर किया। सरकारी अनुदान से ड्रिप सिंचाई और सौर ऊर्जा पंप लगवाया।

खाद के लिए वह केंचुओं से तैयार की गई जैविक खाद व कीटनाशक के तौर पर नीम की पत्तियां, गोमूत्र, बेसन, धतूरा आदि का प्रयोग कर रहे हैं। इससे सालाना करीब दो लाख की कमाई हो रही है।

कुत्तों ने काटा... मगर कागजों में

उदयपुर संभाग के भदेसर ब्लॉक मंडफिया, चित्तौड़गढ़ में स्वास्थ्य विभाग के 58 कर्मचारियों को कुत्तों ने काट लिया...। बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन उनके नाम पर फर्जी मेडिकल बिलों का भुगतान लेने वालों ने इसे पास भी करवा लिया।

यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग के आंतरिक जांच दल की तफ्तीश में हुआ है। इस ब्लॉक में 115 अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम पर 10 लाख रुपए के फर्जी मेडिकल बिल का भुगतान उठा लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि रिकार्ड के मुताबिक 58 कर्मचारियों के नाम पर उठाए गए बिल रेबीज बीमारी के महंगे इंजेक्शन और दवाओं के हैं, जो कुत्ते के काटने से होती है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर